HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. 3rd Suspension Of Sentence Application No. 291/2026
In
S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 1501/2025

Manmohan Rawat @ Shelu S/o Shri Durga Singh, Aged About 24 Years, R/o Bhawani Kheda, Police Station Gegal, District Ajmer. (At Present Confined In Central Jail, Ajmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Gangwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. G. K. Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

23/03/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा **430 बी.एन.एस.एस.** के अंतर्गत प्रस्तुत तृतीय सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम दण्डादेश स्थगन आवेदन आवश्यकतानुसार नवीन आवेदन पेश करने की स्वतंत्रता के साथ वापिस लिया गया था तथा द्वितीय दण्डादेश स्थगन आवेदन उसके पिता की मृत्यु पर अंतरिम जमानत के संबंध में था।

प्रार्थी–अभियुक्त को विद्वान विचारण न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 संख्या–02, अजमेर द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–05/2024 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के माध्यम

से धारा 363, 366A, 342, 376(1), 376(D) भा.दं.सं. तथा धारा 3/4, 5(G)/6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 में दोषसिद्ध घोषित करते हुए अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में शेरसिंह व मनमोहन दोनों के द्वारा दुष्कर्म किये जाने का विशिष्ट रूप से कथन किया है, लेकिन न्यायालयीन कथनों में मनमोहन द्वारा दुष्कर्म किये जाने का पीड़िता द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया है। मनमोहन की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से अपने घर के बाहर स्थित दुकान पर थी, सह–अभियुक्त शेरसिंह द्वारा किये गये दुष्कर्म में उसका कोई सहयोग या षड्यंत्र रहा हो, ऐसी स्थिति अभिलेख से प्रकट नहीं हो रही है। घटना दिनांक 18.10.2023 की है, अभियुक्त को दिनांक 20.10.2023 को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अभियुक्त की जो अण्डरवियर जब्त करना बताया है, उसकी कोई फर्द जब्ती नहीं है। उनका यह भी निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति अपराध कारित करने के बाद तीन दिन तक वही अण्डरवियर पहना रहा हो और खुद अपने विरूद्ध साक्ष्य को बनाये रखे, संभव नहीं है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह भी निवेदन है कि अभियुक्त के अण्डरवियर पर उसका वीर्य होना माना भी जावे, तब भी इससे पीड़िता के साथ अपराध किये जाने बाबत् कोई कड़ी नहीं जुड़ती है। अभियुक्त करीब एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में है, निकट भविष्य में अपील के निस्तारण की संभावना नहीं है, अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धी हेतु कोई प्रत्यक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य अथवा वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि पीड़िता द्वारा यद्यपि अभियुक्त मनमोहन द्वारा दुष्कर्म करने का स्पष्ट आरोप नहीं लगाया है लेकिन उसने अपने कथनों में जाहिर किया है कि अभियुक्त शेरसिंह पीड़िता को घसीटकर मनमोहन के घर में ले गया और उस समय मनमोहन व कालू घर के बाहर दुकान पर बैठे थे। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त सामग्री दोषसिद्धी हेतु रही है, अंत

में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में 17 वर्षीय पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 व धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों में स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया है कि घटना के दिन वह कचरा डालने गई थी, तब मनमोहन के घर के बाहर मनमोहन, शेरसिंह व जितेन्द्र उर्फ कालू बैठे थे और शेरसिंह उसे घसीटकर कमरे में ले गया, कमरे में शेरसिंह व मनमोहन आये और दोनों ने निर्वस्त्र होकर उसके साथ गलत काम किया, लेकिन न्यायालयीन कथनों में मनमोहन के विरूद्ध इस प्रकार के स्पष्ट कथन नहीं है। मनमोहन की उपस्थिति अपने घर के बाहर होने मात्र के आधार पर शेरसिंह के साथ षड्यंत्र या सहयोग के निष्कर्ष के संबंध में सारवान तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

यह भी कहानी है कि पीड़िता चिल्लाई, तब सह–अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ कालू ने आकर अभियुक्तगण व उसका अश्लील वीडियो बनाया लेकिन जो कथित वीडियो जब्त हुआ है, उसमें पीड़िता व शेरसिंह की उपस्थिति दर्शित हुई है, मनमोहन की किसी भी वीडियो क्लिप में उपस्थिति प्रकट नहीं हुई है। बैडशीट तथा पीड़िता के कपड़ों पर अभियुक्त मनमोहन का मानव वीर्य पाया गया हो, ऐसा भी डी.एन.ए. रिपोर्ट से स्पष्ट नहीं हुआ है। संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त शेरसिंह से प्रार्थी–अभियुक्त मनमोहन का मामला पूर्णतः भिन्न है, अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अपीलार्थी द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपील में उठाये गये कानूनी मुद्दों, अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह तृतीय सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि **प्रार्थी–अभियुक्त मनमोहन रावत उर्फ शेलू पुत्र दुर्गासिंह** इस न्यायालय में **दिनांक 27.04.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का

बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 19.05.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /01